नारी सशक्तिकरण

सभ्यता के विकास क्रम में स्त्रियाँ उत्पादन कार्य से अलग थलग पड़ गयी एवं उसका प्रभाव उनके राजनीतिक, स्तर पर भी पड़ा। इससे वे सामाजिक, स्तर पर पुरुषों के अधीन हो गयी और फिर महिलाओं की हीनतर अवस्था को वैधानिक, एवं सांस्कृतिक स्तर देकर उनके जीवन को शुद्धता एवं आदर्श के साथ जोड़ दिया गया। इस प्रक्रिया में बाल विवाह, आयु में तीन गुणा ज्यादा के पुरुष से विवाह की स्वीकृति, बहुविवाह आदि से विधवाओं की संख्या में वृद्धि की। विधवाओं को शुद्धता से सम्बद्ध कर उनका भोजन, वस्त्र, शृंगार आदि को प्रतिबन्धित किया जाने लगा। त्यौहारों एवं समारोहों में उनकी उपस्थिति को अपशकुन से जोड़ दिया गया। कुल मिलाकर जब जीवन मौत से ज्यादा दुष्कर हो जाये तो उसे कि आदर्श मौत के रूप में वरण कर लेने का एक उदाहरण है- सती प्रथा। इसी क्रम में एक लम्बा युग बीत जाता है तो वंचित वर्ग के लोग दूसरों के द्वारा अपने ऊपर आरोपित आदर्श को अपना आदर्श मानते हैं। तात्पर्य है कि वे लोग आदर्श के अनुरूप ही अपना मनोविज्ञान विकसित करते हैं। अतः 19 वीं सदी के समाज सुधारकों का केन्द्रीय विषय महिला एवं शूद्र ही थे।

→ 19 वीं सदी के में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों एवं पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार ने भारतीय मध्यवर्ग को सुधार आन्दोलनों को नेतृत्व करने की ऊर्जा प्रदान की।

Scanned by CamScanner

→ राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन किया इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1829 में कानून बनाकर सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत में सती प्रथा निषिद्ध कर दी। इस अधिनियम का सभी रूढ़िवादियों हिन्दुओं ने विरोध किया जिसका नेतृत्व राधाकान्त देव ने किया। फलस्वरूप 1840 में भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन किया गया और इसे स्वैच्छिक तथा जबरन में विभाजित कर दिया गया। स्वैच्छिक सती को मान्यता प्रदान कर दी गई, ऐसे में यह कानून स्वतः अप्रासंगिक हो गया।

→ ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने कहा "विधवा पुनर्विवाह शास्त्र सम्मत है।" इनके कार्यों को स्थानीय समाचार पत्रों एवं जुलाहों का समर्थन रहा। 1855 में अंग्रेज अधिकारियों की सलाह पर ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने गवर्नर जनरल को विधवा पुनर्विवाह के लिये कानून बनाने की याचिका दी जिसे जे पी ग्रान्ट ने विधानपरिषद में प्रस्तुत किया। इस याचिका के उपरान्त 1856 में विडो रिमैरिज एक्ट पास किया गया जिसमें कहा गया कि विधवाओं का पुनर्विवाह कानूनी रूप से मान्य है।

→ बाल विवाह को लेकर भी कई कानून बनाये गये जिनमें नेटिव मैरिज एक्ट-1872, सम्मति आयु अधिनियम-1891, शारदा एक्ट 1929 प्रमुख है। इसमें विवाह की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करते हुए कहा गया कि जो इसका उल्लंघन करेगा उसे न्यायालय में दण्डित किया जायेगा।

→ 1860 के दशक में महिला शिक्षा के दिशा में प्रगति हुई। जिसमें फ्रामजीपोमन जी, केशवचन्द्र ~~की कन्या पाठशाला~~, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर इत्यादि का योगदान था। ~~सर्वाधिक सराहनीय कार्य~~ ज्योतिबा फुले और रमाबाई रानाडे ~~ने किया~~। रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की (पुना)। 1882 में सरकार ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया

→ रमाबाई के सुझाव पर लेडी डफरिन ने महिला चिकित्सा अस्पताल स्थापित किया। 1886 में रमाबाई ने बाल विधवा स्कूलों का संचालन आरम्भ किया और 10 अप्रैल 1889 को बम्बई में शारदा सदन की स्थापना की। यह महाराष्ट्र का पहला विधवा आश्रम था।

Scanned by CamScanner

20 वीं शताब्दी -

→ अभी तक यह सुधार जन-जन के स्तर पर नहीं पहुँचा था। इस प्रक्रिया को गति मिली राजनीतिक सम्बद्धता से। भारत में निर्वाचन (प्रत्यक्ष) के आधार पर क्रमिक रूप से उभरने वाली संसदीय व्यवस्था के तहत महिलाओं के सशक्तीकरण एवं विकसित होने की संभावना थी और इसके लिये एनी बेसेन्ट, सरोजनी नायडू, हीराबाई टाटा जैसी नेताओं ने मताधिकार आंदोलन चलाया जिसके परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड की महिलाओं से भी पहले 1919 ई० भारतीय महिलाओं का मताधिकार की प्राप्ति हुई थी।

→ महिला सशक्तीकरण को सर्वाधिक शक्ति तब मिलती है जब वो साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्यधारा से जुड़ जाती है। यह आन्दोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ ही साथ राष्ट्रीय ~~आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़ जाती है~~ निर्माण और लोकतांत्रिकरण की धारा के साथ विकसित होती है। कांग्रेस का दृष्टिकोण प्रारंभ से ही स्त्री पुरुष समानता का है। कादम्बिनी गांगुली (1889) पहली बार कांग्रेस को संबोधित करती है। लेकिन एक समाज के रूप में महिलाओं की प्रथम राजनीतिक प्रस्तुति स्वदेशी आन्दोलन के दौरान होती है। 1920 के बाद महिलाओं को हम राष्ट्रीय राजनीति की सभी प्रवृत्ति में सम्बद्ध पाते हैं। यह चाहे प्रगतिशील चेतना पर आधारित कृषक व श्रमिक समूह का आंदोलन हो या क्रांतिकारी राजनीति का पक्ष इस दौरान रानी गैडिन्ल्यू, प्रीतिलता वाडेदार, दुर्गाभाभी, बीना दास जैसी महिलायें राष्ट्र की वेदी पर अपने को उत्सर्ग कर रही है और यह धारा INA की लक्ष्मी सहगल तक निरन्तर बनी रही। → किंतु महिला और भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के गठजोड़ को सबसे ज्यादा बल मिला गांधीवादी सत्याग्रह पर आधारित जन आंदोलनों और कार्यक्रमों से जिसके अन्दर सृजन सेवा और समर्पण के समस्त गुण विद्यमान थे। गांधीवादी आंदोलनों का चरित्र ही ~~स्त्र~~ स्त्रैण था उस नशाबन्दी, चरखा आदि के साथ धरना, प्रदर्शन, मंजरी सेना के माध्यम से इनकी भागीदारी बढ़ी और परिणामस्वरूप जब हिंदुस्तान आजाद होता है तो राजनीतिक तौर महिलायें स्वतन्त्र हो जाती है।

→ 1927 में अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना।

Scanned by CamScanner

महिला उत्थान आंदोलन →

19वीं सदी के समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य बल महिलाओं की स्थिति में सुधार पर रहा था। इसके निम्नलिखित कारण थे -

1) एक ब्रिटिश चिंतक जेम्स मिल ने यह प्रतिपादित किया था कि कोई भी सभ्यता प्रगतिशील है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस सभ्यता के अन्तर्गत महिलाओं की स्थिति कैसी है? और फिर इसने इस आधार पर भारतीय समाज पर प्रहार किया। अतः 19वीं सदी के भारतीय सुधारकों ने जेम्स मिल के इस वैचारिक चुनौती को स्वीकार किया तथा महिला उत्थान के लिये कार्य करने लगे।

2) ऐसा महसूस किया गया कि भारतीय समाज की बुराइयों की जड़ में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है महिला उत्थान। दूसरे शब्दों में अगर महिलाओं की दशा में सुधार हो जाता है तो कई अन्य सामाजिक बुराइयाँ यथा छुआछूत जाति विभाजन आदि स्वमेव समाप्त होने लगेंगी।

विभिन्न क्षेत्रों में सुधार →

1) बाल हत्या पर पाबंदी → बेंगाल रेग्युलेशन 1795 तथा 1804 के आधार पर बाल हत्या को रोकने के लिये पहले से ही कदम उठाये जा रहे थे किंतु इसके लिये व्यवहारिक प्रयास 1830 के बाद प्रारंभ हुआ।

2) सती प्रथा उन्मूलन → 1829-30 में सती प्रथा उन्मूलन के लिये कानून बनाये गये।

3) विधवा पुनर्विवाह → बंगाल में ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, मद्रास में वीरेशालिंगम तथा बम्बई में डी० के० कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में निरन्तर प्रयास किये। सरकार की ओर से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया।

4) महिला शिक्षा → बम्बई में एलफिंस्टन कालेज के छात्रों ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी प्रकार बंगाल में महिला शिक्षा के विकास के लिये तरुण स्त्री सभा जैसी संस्था की स्थापना की गयी। फिर ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने महिला शिक्षा के विकास के लिये महत्वपूर्ण कार्य किया। बेथून स्कूल के निरिक्षक के तौर पर रहते हुए उन्होंने 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की थी।

5) बाल विवाह उन्मूलन → लगभग सभी महत्वपूर्ण सुधारकों के द्वारा बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई पर चोट की गई। फिर राष्ट्रवादी दबाव में सरकार के द्वारा भी बाल विवाह के उन्मूलन के लिये समय-समय पर कानून लाया गया। उदाहरणतः 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, 1891 में एज आफ कन्सेन्ट बिल तथा 1930 में शारदा एक्ट लाया गया।

Scanned by CamScanner

महिला उत्थान की सीमायें → ① महिला उत्थान के लिये पहला एक पुरुष प्रधान समाज की ओर से की गई थी। स्वाभाविक रूप से इन सुधारकों के प्रयासों में भी पुरुष प्रधान मानसिकता विद्यमान थी। इसलिये वे महिलाओं की दशा में सुधार तो चाहते थे किन्तु वे महिला मुक्ति के विरोधी थे।
② महिला उत्थान के लिये विधि निर्माण का सहारा लिया गया। किंतु उसके लिये उचित सामाजिक वातावरण का निर्माण नहीं हुआ और न ही कोई सामाजिक क्रान्ति लाई गई। इसलिये केवल विधि निर्माण से महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जा सका। उदाहरणतः विधवा पुनर्विवाह कानून के बावजूद भी पूरे 19वीं सदी में केवल 38 विधवाओं का विवाह हो सका।

Scanned by CamScanner